शीर्षप्राथमिकता

संख्याः1810/नौ-7-12-117एल./2000

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/समस्त पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र.)

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 2012

विषयः प्रदेश के नगरों को प्रदूषण मुक्त कराने, पर्यावरण सुधार एवं नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में नगरों की निरन्तर बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण एवं वाहनों की संख्या में निरन्त वृद्धि के फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है। साथ ही नगरीय क्षेत्र में विकास के नाम पर परम्परागत वृक्षों का विनाश तथा हरित क्षेत्रों के विस्तार में क्रमशः आता संकुचन इस समस्या कों और गम्भीर बना रहा है, क्योंकि प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरण को सन्तुलित करने की क्षमता रखने वाले वृक्षों का निरन्तर अभाव होता जा रहा है।

2. भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय वानिकी, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी पहलुओं के उन्नयन एवं वृद्धि के संबंध में व्यापक दायित्व दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-114 (33क) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा-7(झ) में नगरीय वानिकी और पारिस्थितिकी पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण तथा सड़कों के किनारे व अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाने और उनका अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान पूर्व से ही है, फिर भी समय-समय पर विषय की महत्ता को देखते हुए शासन द्वारा स्थानीय निकायों का ध्यान इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर आकर्षित किया जाता रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के सम्भावित खतरों एवं गम्भीरता को देखते हुए अब यह अपरिहार्य हो गया है कि नगरीय क्षेत्रों में वनीकरण कार्यक्रमों को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाये और इसके लिये तदनुसार जनचेतना जाग्रत की जाय।